FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0232 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/08/2026 15:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/05/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:15 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/08/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/08/2026 15:01:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 120 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARAYALAY ADM ALWAR-2

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIJAY KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHAGWAN SHARMA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1984 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DERA, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DERA, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRADEEP KUMAR MEENA		पिता:RAMESH CHAND MEENA	1. DHANWARA,KUMHER,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	VINOD MEENA		पिता:JAGDISH MEENA	1. ACHALPURI POST PUNKHAR,MALAKHEDA,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 2,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि दिनांक 13.05.2026 को समय 01ः15 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक रमेशचन्द को परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र श्री भगवान शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी डेरा थाना रैणी जिला अलवर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वंय का आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा को संबोधित करते हुये इस आशय का पेश किया कि ‘मै विजय कुमार पुत्र श्री भगवान शर्मा, निवासी डेरा थाना रैणी का रहने वाला हॅू। मै राजस्थान पुलिस में कानि0 के पद पर जिला दौसा में पदस्थापित हॅू। मेरे पिताजी व चाचाजी श्री अनूपचन्द के खिलाफ एक वाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर द्वितीय के यहॉ चल रहा है। उक्त वाद मे मेरे पिताजी व चाचाजी की तरफ से मै ही पैरवी कर रहा हॅू। हमारे उक्त वाद में दिनांक 05.05.2026 को अंतिम बहस हो गई है। परन्तु निर्णय नही सुनाया गया। इस पर मै कल दिनांक 12.05.2026 को ADM अलवर द्वितीय से उनके कार्यालय में जाकर मिला तो उन्होने मुझसे कहा कि निर्णय के लिए तुम्हे कुछ खर्चा पानी देना होगा। तुम मुझे खर्चा-पानी दे दोगे तो मै इस प्रकरण में जल्दी ही निर्णय दे दूंगा। नही तो तुम ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे। उन्होने मुझसे कहा कि तुम्हारा वाद तो रामकेदार/अनूपचन्द है ना तो मैने उन्हे उक्त वाद हमारा होना बताया। मैने ADM साहब से खर्चे-पानी की बात की तो उन्होने मुझसे कहा कि इस बारे में तुम मेरे स्टाफ के कर्मचारी श्री प्रदीप या विनोद से बात कर लेना। इसके बाद मै उनके कार्यालय में विनोद व प्रदीप के बारे में पूछता हुआ अन्दर गया तो प्रदीप व विनोद दोनों एक साथ ही पास-पास बैठे थे फिर मैने उनको ADM द्वितीय साहब की वार्ता के बारें में बताते हुये अपने वाद रामकेदार/अनूपचंद के निर्णय के बारे में निवेदन किया तो दोनों ने ही मुझे कहा कि तेरे वाद में निर्णय देने के लिए तुझे हमे 2,50,000 (ढाई लाख रूपये) देने होगे इन ढाई लाख रूपये में से दो लाख रूपये ADM साहब को जायेगें और पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये हम दोनों लेगें। इस पर मैने उनसे इतने रूपये की व्यवस्था नही होने बाबत कहा तो उन दोनों ने कहा कि तू कुछ तो लेकर आ, बाकी बाद में देखेगे। इसके बाद मै अपने घर आ गया और पिताजी व चाचाजी अनूपचन्द जी को सारी बाते बतायी। तो उन्होने मुझे कहा कि उक्त भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ तू कानूनी कार्यवाही कर। इस पर मै आज आपके कार्यालय में उपस्थित आया हॅू। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि ADM अलवर द्वितीय के यहॉ चल रहे हमारे वाद रामकेदार/अनूपचंद में निर्णय देने के नाम पर मुझसे रिश्वत मांगने वाले श्री योगेश डागुर ADM अलवर द्वितीय व उनके कर्मचारी श्री प्रदीप व विनोद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त रिपोर्ट के बारे में परिवादी श्री विजय कुमार से पूछने पर बताया कि यह प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं श्री योगेश डागुर ADM अलवर द्वितीय व उनके कर्मचारी श्री प्रदीप व विनोद से मेरी कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार लेन देन बाकी है परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाये जाने पर रिश्वत मांग का नियमानुसार गोपनीय सत्यापन हेतु समय करीब 02.30 पीएम पर परिवादी श्री विजय कुमार को कार्यालय का डीवीआर दिखाकर उसको संचालन की विधि समझाई गई। कार्यालय में उपस्थित श्री राकेश कुमार कानि0 70 को बुलाकर परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी श्री विजय कुमार से परिचय करवाया गया। तथा डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी लगाकर उसको खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री विजय कुमार को आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की समझाईस की जाकर डीवीआर जरिये फर्द श्री राकेश कुमार कानि0 70 को सुपुर्द किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री विजय कुमार ने बताया कि आज मेरे घर पर जरूरी कार्य होने के कारण मै रिश्वत की मांग सत्यापन की कार्यवाही आज नही करवा सकता हॅू। दिनांक 14.05.2026 को मै रिश्वत की मांग का सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को बाद मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से रूखसत किया एवं श्री राकेश कुमार कानि0 को दिनांक 14.05.2026 को परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 14.05.26 को समय 07.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष कार्यालय में श्री राकेश कुमार कानि0 70 उपस्थित आया और डीवीआर मय मैमोरी कार्ड के पेश कर बताया कि ‘मै दिनांक 13.05.2026 को कार्यालय में ही मुकीम रहा था। डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मैने अपने पास सुरक्षित रखा था। दिनांक 14.05.2026 को मै परिवादी श्री विजय कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर कार्यालय से करीब 06ः00 एएम पर रवाना होकर बान्दीकुई पहॅुचा एवं बान्दीकुई से मै व परिवादी श्री विजय कुमार साथ-साथ रवाना होकर समय

करीब 09◌:30 एएम पर अलवर पहॅ◌ूचे थे। यात्रा के दौरान ही समय करीब 09◌:24 एएम पर परिवादी श्री विजय कुमार के फोन नं0 पर आरोपी श्री प्रदीप ने अपने मो0न0 से जरिये व्हाट्सअप मिस्डकॉल दिया था जिस पर परिवादी द्वारा समय करीब 09◌:31 एएम व 09◌:34 एएम पर आरोपी श्री प्रदीप के फोन पर जरिये व्हाट्सअप कॉल किया तो आरोपी श्री प्रदीप ने परिवादी को घोडाफेर चौराहा, अलवर पर आने का कहा। इस पर मै व परिवादी समय 09◌:40 एएम पर घोडाफेर चौराहे पर पहॅ◌ूचे और फिर मैने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को अपने पास से निकालकर चालूकर परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन के लिये संदिग्ध आरोपी श्री प्रदीप रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिये घौडाफेर चौराहे पर ही रवाना कर दिया और मै स्वंय घोडाफेर चौराहे पर ही अपने आप का छुपाव करते हुये मुकीम रहा। इसके कुछ देर बाद ही परिवादी के पास एक व्यक्ति स्कूटी लेकर आया और परिवादी को स्कूटी पर बिठाकर मिलिट्री एरिया की तरफ जाने वाली रोड पर ले गया। इसके करीब एक घण्टे बाद परिवादी को दो व्यक्ति अपनी स्कूटी पर बिठाकर लाकर घोडाफेर चौराहे पर उतार दिया और स्कूटी वाले दोनों व्यक्ति कलेक्ट्रट जाने वाले रास्ते पर चले गये और फिर परिवादी श्री विजय कुमार मेरे पास घौडाफेर चौराहे पर ही उपस्थित आया और डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया मेरे द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि अभी उसे घौडाफेर चौराहे से आरोपी श्री विनोद कुमार अपनी स्कूटी पर बिठाकर मिलिट्री एरिया की तरफ जाने वाली सडक पर करीब दो किलोमीटर ले गया था और वही पर आरोपी प्रदीप भी आ गया था और फिर दोनों आरोपीगण श्री प्रदीप व श्री विनोद ने मेरे काम के बारे में बातकर मेरे से रिश्वत के दो लाख रूपये लेकर हमारे पक्ष मे फेसला देने की कही। आरोपीगण से हुई समस्त वार्ता मैने डीवीआर में रिकॉर्ड कर ली है। और परिवादी श्री विजय कुमार ने मुझे बताया कि आरोपीगण ने उसे घण्टे भर बाद पुनः कचहरी में एडीएम अलवर, द्वितीय के न्यायालय के कार्यालय कक्ष में बुलाया है। इसके बाद मै व परिवादी घौडाफेर चौराहे से रवाना होकर अलवर कचहरी में समय करीब 12◌:00 पीएम पर पहॅ◌ूचे। फिर मैने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड चालूकर परिवादी श्री विजय कुमार को पुनः आरोपीगण के कार्यालय में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु भेजा एवं स्वंय वही मुकीम रहा। परिवादी श्री विजय कुमार करीब आधा घण्टे बाद आरोपीगण से वार्ता कर मेरे पास आया और डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया जिसें मैने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि वह मेरे पास से रवाना होकर एडीएम अलवर द्वितीय के न्यायालय के कार्यालय कक्ष में पहु◌ॅचा जहॅ◌ा पर उस दोनों आरोपीगण श्री विनोद कुमार व श्री प्रदीप कुमार मौजूद मिले जिनसे उसने एडीएम द्वितीय अलवर के न्यायालय में चल रहे अपने वाद में फेंसला देने बाबत वार्ता की तो हर दोनों आरोपीगण उक्त फेसले की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुये। उक्त दो लाख रूपये मे से 1.70 लाख एडीएम साहब को व 30 हजार रूपये दोनो आरोपीगण रखने पर सहमत हुये है। मैने उनसे हुई सारी वार्ता डीवीआर में रिकार्ड कर ली थी। और बाद बातचीत मै आपके पास आया हु। डीवीआर को जब मैने चलाकर सुना तो आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद मैने हालात जरिये दूरभाष आपको निवेदन किये थे, और आपके निर्देशानुसार ही अलवर से मै व परिवादी दौसा के लिये रवाना हो गये और परिवादी को निजि कार्य होने से वह बॉदीकुई रूक गया ओर मै कार्यालय में आपके समक्ष उपस्थित आया हॅ◌ू। श्री राकेश कानि0 द्वारा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया था उसके◌ा मैने चलाकर सुना तो दोनों आरोपीगण श्री प्रदीप व श्री विनोद द्वारा परिवादी श्री विजय कुमार से 2 लाख रूपये मांगने की पुष्टि हुई। इस पर मैने डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 18.05.2026 समय 07◌:00 पीएम परिवादी श्री विजय कुमार ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया कि मुझसे मेरे कार्य के बदले, आरोपीगणो द्वारा रिश्वत राशि का तकादा किया जा रहा है इसलिये मै आपके कार्यालय में दिनांक 19.05.2026 को आरोपीगणो के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आ जाउंगा। इस पर परिवादी को आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर प्रातः 10.00 ए.एम पर कार्यालय में आने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 19.05.2026 समय 10◌:00 एएम मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पूर्व से पाबन्दशुदा गवाह श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 29 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम/पोस्ट पांचोली तहसील सिकराय दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, दोसा ! व श्री कालू राम मीणा पुत्र श्री माधोलाल मीणा उम्र 26 साल जाति मीणा निवासी चावंड पोस्ट हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग, दौसा मो0न0 उपस्थित कार्यालय आये। समय 11◌:00 एएम मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार उपस्थित कार्यालय आया और रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के घटनाक्रम के बारे में पूछने पर कानि0 श्री राकेश कुमार नं0 70 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की और बताया कि दिनांक 18.05.2026 को उसके मो0न0 . पर आरोपी श्री विनोद के मो0न0 से जरिये व्हाट्सअप पर 6 बार मिस्डकॉल की थी और मेरे द्वारा मिस्डकॉल का जवाब नही दिया गया तो आरोपी श्री विनोद कुमार ने मुझे समय 12◌:07 पीएम पर साधारण कॉल कर व्हाट्सअप पर बात करने के लिये कहा जिस पर मैने उनसे व्हाटसअप से वार्ता की तो उन्होने मुझे कहा की तू दो लाख रूपये आज ही लेकर आ इस पर मैने आज आने में असमर्थता जताई जिस पर उन्होने मुझे कल दिनांक 19.05.2026 को हरसूरत में 2 लाख रूपये लेकर बुलाया है और उन्होने कहा कि कल मै उनके पास 2 लाख रूपये देने नही पहूचेगा तो वे हमारे वाद रामकेदार/अनूपचन्द में हमारे खिलाफ फेसला

करवा देगे। इस पर मैने उनको कल यथा संभव उनके पास आने की कही। इसके बाद मैने जरिये दूरभाष आपसे वार्ता की थी और उसी वार्ता के क्रम में आपके पास कार्यालय में उपस्थित आया हॅू। जिसके बाद कार्यालय में पूर्व से बैठे दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालू राम मीणा से परिवादी का आपस में परिचय करवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढवाया जाकर उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11ः30 एएम पर परिवादी श्री विजय कुमार पुत्र श्री भगवान शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 42 साल निवासी डेरा थाना रैणी जिला अलवर व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालू राम मीणा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री विजय कुमार व आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप कार्यालय, एडीएम अलवर द्वितीय के मध्य दिनांक 14.05.2026 को वर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें रिकॉर्ड वार्ता की मेरे निर्देशन में शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट व पैनड्राईव श्री राकेश कानि0 70 द्वारा तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा अपनी आवाज व आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप एडीएम अलवर द्वितीय न्यायालय की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की कॉपी के पेनड्राईव बनाने हेतु पॉच खाली ईवीएम 16 जीबी पेनड्राईव मंगवाये जाकर पॉचों पैनड्राईव को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से पॉचों पैनड्राईव ईवीएम 16 जीबी को सेंड टू ऑप्शन से कॉपी तैयार की जाकर पॉचों पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः कार्यालय कम्प्युटर में लगाकर/जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुब हू होना पायी गयी। इसके बाद चार पैन ड्राईव को उसके कवर में रखकर कवर के पीछे चिट चस्पा कर मार्क-ं aaA-1, aaA-2, aaA-3, aaA-4, अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालू राम मीणा एंव परिवादी श्री विजय कुमार के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क aaA-1, aaA-2, aaA-3, aaA-4 को उसके कवर सहित पेनड्राईव को पृथक-पृथक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क aaA-1, aaA-2, aaA-3, aaA-4 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा पॉचवे पेनड्राईव मार्क A-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात् उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसके कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालत मे रखकर थैली को सील मोहर कर उस पर मार्क ‘M-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव बनाये गये है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईव की हैश वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया। सीलशुदा मैमोरी कार्ड व सभी पैन ड्राईव जमा मालखाना करवाये गये। समय 02ः30 पीएम पर परिवादी श्री विजय कुमार से आरोपीगण श्री विनोद कुमार रीडर व प्रदीप कार्यालय कर्मचारी एडीएम अलवर द्वितीय को दी जाने वाली 2,00,000/- रूपये की रिश्वत राशि पेश करने बाबत कहा तो परिवादी श्री विजय कुमार ने अपने पास से आरोपीगण श्री विनोद कुमार रीडर व प्रदीप कार्यालय कर्मचारी एडीएम अलवर द्वितीय को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये की 04 गडडी प्रत्येक में 100 नोट, कुल 400 नोट कुल 2,00,000/-रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। जिसका विवरण फर्द में अंकित है। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटों पर श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय की एक टेबिल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर 500-500 रूपयों की 100-100 नोट की चारो गड्डीयों को खोलकर उक्त 2,00,000 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया जाकर वापस 4 गडडीयां 100-100 नोट की तैयार की गई। परिवादी श्री विजय कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कालूराम मीणा से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपीगण श्री विनोद कुमार रीडर व प्रदीप कार्यालय कर्मचारी एडीएम अलवर द्वितीय को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2,00,000/-रू. की 500-500 रूपये की 100-100 नोटो की 04 गडडीयां श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 से एक पीले रंग की प्लास्टिक की थैली जिस पर लाल डोट व लाल स्टार बने हुये है तथा थैली पर अग्रेंजी में विजिट अगेन व थैंक्यू लिखा हुआ है में रखवाये जाकर उक्त चारो गडिडयों को थैली में ही व्यवस्थित कर उक्त थैली पर भी फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त रिश्वत राशि सहित थैली को परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा साथ लायी कपडे की थैली के अन्दर रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह जिस थैली में रिश्वत राशि रखी गई है उसको व इन नोटो को तब तक नही छुयेगा जब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा

मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे और ध्यान रखे की आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहंा रखते है। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को फिनोप्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक क्रिया के बारें में बताया गया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय से बाहर फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात पाउडर लगाने वाले श्रीमति पूनम महिला कानि0 84 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद मन् पुलिस निरीक्षक एवं परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच डिस्पोजेबल गिलास आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। परिवादी को कार्यालय का डीवीआर मय नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 08 जीबी लगाकर आरोपी एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द किया जाकर श्री राकेश कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपीगणो के पास रिश्वत राशि देने हेतु भिजवाया जाने से पूर्व उक्त सुपुर्दशुदा डिवीआर को चालूकर भिजवाये। फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एंव सुपुर्दगी डीवीआर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 03ः00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द ने कार्यालय के श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कुमार कानि न0 101, श्री राकेश कुमार कानि0 70, श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, श्री नितिन यादव कनिष्ट सहायक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री विजय कुमार व दोनों स्वंतत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र कुमार गुर्जर व श्री कालू राम मीना से परिचय करवाकर परिवादी श्री विजय कुमार के प्रार्थना पत्र की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी श्री विजय कुमार व दोनों स्वंतत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह व श्री कालूराम को व उपरोक्त एसीबी स्टाफ को हमराह लेते हुये एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी बॉलेरो से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स के एसीबी कार्यालय दौसा से अलवर के लिए रवाना हुआ। रिश्वती राशि के फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाली श्रीमति पूनम म0कानि0 84 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 09ः00 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक रमेश चन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री भूपेन्द्र कुमार गुर्जर व श्री कालूराम मीना एवं परिवादी श्री विजय कुमार व एसीबी स्टाफ सदस्य श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश कानि न0 101, श्री राकेश कानि0 70, श्री प्रेमप्रकाश कानि0 382, श्री लोकेश कानि0 155, श्री नितिन यादव कनिष्ट सहायक कार्यालय से समय 03ः00 पीएम पर रवाना होकर अलवर पहुंचकर बाद कार्यवाही अलवर से रवाना होकर हाजिर कार्यालय आया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के अलवर में ज्योतिबा फुले सर्किल पर पहंुचे। जहॉ पर स्वंतत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र कुमार व श्री कालूराम मीना के समक्ष श्री राकेश कानि0 से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड चालू करवाकर परिवादी को डीवीआर मय मैमोरी के सुपुर्द कर आरोपीगण से वार्ता कर सम्पर्क कर हिदायत मुनासिब कर आरोपीगण के पास जाने के लिये रवाना किया गया एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी स्टाफ मय दोनों स्वंतत्र गवाहान के परिवादी श्री विजय कुमार पर नजर रखते हुये छुपाव हासिल करते हुये उसके पीछे-पीछे रवाना हुये। इसी दौरान परिवादी श्री विजय कुमार जब घोडाफेर चौराहा अलवर के पास पहुंचा तो उसके पास दो व्यक्ति एक स्कूटी जिसके रजिस्टेशन नंम्बर. RJ02YS7919 थे, उस पर बैठकर आये और वार्ता करने लगे और कुछ देर बाद उन दोनों व्यक्तियों ने परिवादी श्री विजय कुमार को अपनी स्कूटी पर अपने साथ बिठाकर घोडाफेर चौराहे से पुरानी कचहरी की तरफ रवाना हो गये। इस दौरान मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान व एसीबी स्टाफ के परिवादी का पीछा करते हुये पुरानी कचहरी पहुंचा जहॉ पर परिवादी कचहरी में उत्तर-पश्चिम कोर्ण मे रखी वकीलों की कुर्सियॉ पर बैठा दिखायी दिया और वो ही दो व्यक्ति उसके पास बैठे थे। फिर कुछ देर बाद वो दोनों व्यक्ति परिवादी के पास से उठकर पुरानी कचहरी से अपनी स्कूटी से चले गये और फिर परिवादी भी कुछ देर बाद वहॉ से उठकर पुरानी कचहरी के बाहर निकलकर पैदल-पैदल चलते हुये अलवर बस स्टैण्ड पर आ गया जहॉ पर मन् पुलिस निरीक्षक भी मय हमराहीयान के पहंुचा और परिवादी से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा और परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मै आपके पास ज्योतिबा फुले सर्किल से रवाना हुआ था तब मैने जरिये व्हाट्सअप अपने मो0न0
से आरोपी श्री विनोद कुमार के मो0न0 पर सम्पर्क किया तो उन्होने मुझे घोडाफेर चौराहे की तरफ पैदल-पैदल आने के लिये कहा तो मै पैदल-पैदल रवाना होकर घोडाफेर चौराहे पर पहंुचा जहॉ पर मेरे पास आरोपीगण श्री

विनोद व श्री प्रदीप अपनी स्कूटी जिसके रजिस्टेशन नंम्बर. RJ02YS7919 से आये और मुझसे रिश्वत लेने का तगादा किया तो मैने हमारे रामकेदार/अनूपचंद वाद के फेसले की प्रति मांगी तो उन्होने उक्त फेसले की प्रति मुझे देने से इंकार करते हुये श्री विनोद ने अपने मोबाइल फोन में उक्त वाद का फेसला दिनांक 12.05.2026 को किया हुआ दिखाया और जब मैने उनसे फेसले की प्रति देने हेतु पुनः कहा तो उन्होने कहा कि अभी ऑफिस चलकर फैसले की प्रति दे देते है। और फिर आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप ने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाकर रवाना होकर पुरानी कचहरी में पहुचें और मुझे वकीलों की खाली कुर्सियों पर बिठाकर रिश्वत देने का तगादा किया तो मैने उनसे पुनः फैसले की प्रति की मांग की इस दौरान आरोपीगण किसी से फोन पर भी वार्ता कर रहे थे और फिर कुछ देर बाद दोनों आरोपीगण मुझे वही वकीलों की कुर्सी पर बैठा छोडकर वहाँ से अपनी स्कूटी से चले गये। काफी देर बाद वो दोनों आरोपीगण मेरे पास नही आये तो मै एडीएम अलवर द्वितीय के न्यायालय में उन्हे ढूढने गया तो वे दोनों वहाँ पर भी नही मिले एक अन्य कर्मचारी मिला जो कार्यालय के ताला लगा रहा था उस कर्मचारी ने दोनों आरोपीगण के बारे में पूछने पर उनका कार्यालय से चले जाना बताया। इसके बाद मै वहाँ से पैदल-पैदल रवाना होकर बस स्टैण्ड आ गया और यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हॅू। इस दौरान आरोपीगण से मैने जो वार्तायें की थी वो मैने आप द्वारा सुपुर्दशुदा डीवीआर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली थी। आज ट्रेप कार्यवाही नही होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एसीबी जाब्ता व परिवादी श्री विजय कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालूराम मीणा के अलवर बस स्टैण्ड से कार्यालय के लिये रवाना होकर समय करीब 09ः00 पीएम पर पहंुचा। कार्यालय पहंुचकर ट्रेप कार्यवाही हेतु हमराह ले जाये गये समस्त सरकारी सामान को कार्यालय में रखवाया गया। समय 09ः30 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री विजय कुमार से रिश्वत राशि दो लाख रूपये को थैली सहित प्राप्त कर थैली सहित ही कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। आज परिवादी श्री विजय कुमार व आरोपीगण श्री विनोद कुमार व श्री प्रदीप से रिश्वत लेन देन के संबंध में हुई वार्ता का डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी श्री विजय कुमार के कथनों की ताईद हुई। इसके बाद डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री विजय कुमार ने अवगत करवाया कि उसे घर पर जरूरी काम हेतु अभी घर जाना है। समय 09ः40 पीएम पर आज ट्रेप कार्यवाही नही होने पर परिवादी श्री विजय कुमार व स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालूराम मीणा को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से अपने-अपने मसकन को जाने के लिये रवाना किया। दिनांक 22.05.2026 समय 02ः40 पीएम पर परिवादी श्री विजय कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि मेरी रिश्तेदारी ग्राम पुनखर में है जहाँ का निवासी आरोपी श्री विनोद कुमार है उसने मेरे रिश्तेदार से मेेरे गॉव के व्यक्ति के पास फोन करवाकर बताया कि श्री विजय कुमार ने मेरी शिकायत एसीबी में कर दी है उसको कह देना मै उससे कोई रूपये पैसे नही मांगे, उसने मेरी झूठी शिकायत एसीबी में की है। उसके वाद रामकेदार/अनूपचंद में दिनांक 12.05.2026 को फेसला हो गया है उस फैसले की नकल हमारे कार्यालय में आकर या अपने वकील के जरिये प्रार्थना पत्र लगवाकर प्राप्त कर लें। इस पर परिवादी को उसके द्वारा करवाये जा रही कार्यवाही में शेष कार्यवाही को पूर्ण करवाये जाने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने के लिये कहा गया तो परिवादी ने कहा कि मै कुछ दिन मेरे निजि कार्यो में व्यस्त हॅू समय मिलने पर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 09.06.2026 समय 01ः30 पीएम परिवादी श्री विजय कुमार मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित कार्यालय आया और एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया व पूछने पर बताया कि दिनांक 26.05.2026 को मेरे वाद रामकेदार/अनूपचन्द में फैसले की नकल लेने के लिये एडीएम ऑफिस, अलवर द्वितीय पहुचा तो जहाँ पर मुझे श्री विनोद रीडर मिले उन्होने कहा कि आपके वाद की नकल प्रदीप जी देगें प्रदीप जी दो बजे तक ऑफिस आयेंगे आप इंतजार करों। जिस पर मै समय करीब 02ः15 पीएम पर एडीएम द्वितीय ऑफिस में अन्दर पहुंचा तो श्री प्रदीप जी और श्री विनोद जी दोनो पास-पास बैठे मिले तो मैने नकल लेने का फार्म प्रदीप जी को दिया तो उन्होने मेरे को नकल पर लगने वाले 40 रूपये के टिकट लाने के लिये बोला और यह भी कहा कि आपने हमारी शिकायत एसीबी में क्यो की है। जिस पर मैने बताया कि आप मेरे से मेरे वाद में निर्णय देने के लिये पैसे की मांग कर रहे थे इसलिए मैने आपकी शिकायत एसीबी में की है। उसके बाद मैने टिकट लाकर उनको दे दिये इस पर मेरे से श्री प्रदीप ने कहा कि यदि आप एसीबी ऑफिस में नही गये तो अब मत जाना और मुझे मेरे वाद की नकल दे दी। जिस पर मै वहाँ से रवाना होकर मेरे घर आ गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व पुछताछ से यह तथ्य सामने आये है कि एडीएम ऑफिस, अलवर द्वितीय के कार्मिकों को परिवादी द्वारा उनके खिलाफ एसीबी में शिकायत किये जाने की भनक लगने परिवादी श्री विजय कुमार से रिश्वत राशि का लेन देन नही करेंगें। अब तक की गई कार्यवाही में दिनांक 19.05.2026 को वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता जो परिवादी द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था जिसको सरसरी तौर पर सुना जाकर कार्यालय की आलमारी में रखा गया था, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने व अग्रिम कार्यवाही वास्ते स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् श्री बनवारी लाल एचएम को मुनासिब हिदायत दी गई। समय 01ः45 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालू राम मीणा हाजिर कार्यालय आये जिनका परिवादी श्री विजय कुमार से पुनः परिचय करवाया गया। परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा आज दिनांक 09.06.2026 को पेश प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवाया गया तथा दोनों गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर

किये। समय 02ः00 पीएम पर परिवादी श्री विजय कुमार व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालूराम मीणा के सामने मन् पुलिस निरीक्षक ने वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री विजय कुमार व आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप के मध्य दिनांक 19.05.2026 को वरवक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से चालूकर सुना गया एंव उसमें रिकॉर्ड वार्ता की मेरे निर्देशन में शब्द-ब-शब्द ट्रान्सक्रिप्ट व पैनड्राईव श्री राकेश कानि0 70 द्वारा तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा अपनी आवाज व आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की सम्बन्धित वॉईस क्लिप से शब्द-ब-शब्द मिलान किया गया तथा वार्तालाप रूपान्तरण को दोनों गवाहान एंव परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की कॉपी के पेनड्राईव बनाने हेतु पॉच खाली पैनड्राईव ईवीएम 16 जीबी लिये जाकर पॉचों पैनड्राईव को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की कम्प्यूटर की सहायता से बारी-बारी से पॉचो पैनड्राईव ईवीएम 16 जीबी को सेंड टू ऑप्शन से कॉपी तैयार की जाकर पॉचों पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः कार्यालय कम्प्युटर मे लगाकर/जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुबहू होना पायी गयी। इसके बाद चार पैन ड्राईव को उनके कवर में रखकर कवर सहित पेनड्राईव को पृथक-पृथक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर मार्क aaB-1, aaB-2 aaB-3 aaB-4 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा पांचवे पेनड्राईव मार्क B-5 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तत्पश्चात् उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसके कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालत मे रखकर थैली को सील मोहर कर उस पर मार्क M-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव बनाये गये है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईव की हैश वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया। सीलशुदा मैमोरी कार्ड व सभी पैन ड्राईव जमा मालखाना करवाये गये। समय 05ः00 पीएम पर परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा दिनांक 19.05.2026 को आरोपीगणों को दिये जाने हेतु परिवादी द्वारा पेशशुदा रिश्वत राशि 2 लाख रूपये जो आरोपीगणों द्वारा ट्रेप कार्यवाही के दौरान उनके विरूद्ध एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने से प्राप्त नही करने पर वापसी कार्यालय पर परिवादी से प्राप्त कर 2 लाख रूपयों को कार्यालय की आलमारी में थैली सहित रखे हुये थे, को दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालूराम मीणा के समक्ष निकालकर नोटों पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ कर परिवादी को सुपुर्द किये गये। फर्द सुपुर्दगी राशि पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री विजय कुमार व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री भूपेन्द्र सिंह गुर्जर व श्री कालूराम मीणा को हिदायत मुनासिब कर कार्यालय से अपने-अपने मसकन को जाने के लिये रवाना किया। सम्पन्न की गई कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री विजय कुमार द्वारा दिनांक 13.05.2026 को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.05.2026 को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण श्री विनोद व प्रदीप कार्मिक कार्यालय एडीएम अलवर द्वितीय द्वारा परिवादी श्री विजय कुमार के पिताजी के एडीएम द्वितीय अलवर के न्यायालय में चल रहे अपने वाद में फेसला देने बाबत वार्ता की तो दोनों आरोपीगणों द्वारा आपसी मिलीभगत कर व षडयंत्र रचकर परिवादी के पक्ष में फेसला देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत की मांग कर उक्त दो लाख रूपये में से 1 लाख 70 हजार रूपये एडीएम साहब अलवर द्वितीय को व 30 हजार रूपये दोनों आरोपीगणों द्वारा अपने स्वंय के लिये लेने हेतु सहमत होने से रिश्वत की मांग का स्पष्ट सत्यापन होना पाया गया। आरोपीगण की उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 19.05.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी श्री विजय कुमार को 2 लाख रूपये रिश्वत राशि सहित आरोपीगणों को देने हेतु भिजवाये जाने पर आरोपीगण द्वारा अतिरिक्त सर्तकता बरतते हुये एडीएम कार्यालय अलवर द्वितीय के बाहर घोडाफेर चौराहे पर परिवादी से मिलकर उसके पक्ष में हुये फैसले की नकल देने की एवज में रिश्वत राशि देने हेतु कहने पर परिवादी द्वारा अपने फैसले की मूल नकल देने हेतु कहने पर आरोपी विनोद द्वारा अपने फोन में वाद रामकेदार/अनूपचंद में परिवादी के पक्ष में फेसला हो जाना बताकर परिवादी को हमराह एडीएम कार्यालय में फैसले की मूल नकल देने हेतु ले जाना तत्पश्चात आरोपीगणों को उनके विरूद्ध हो रही कार्यवाही के बारे में भनक लगने के कारण परिवादी को एडीएम कार्यालय के बाहर ही छोडकर उक्त दोनों आरोपीगण अपनी स्कूटी से फरार हो गये। उक्त दोनों आरोपीगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर व षडयंत्र रचकर लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कार्य करने की एवज में भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी के पक्ष में फेसला देने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत की मांग कर उक्त दो लाख रूपये में से 1 लाख 70 हजार रूपये एडीएम साहब अलवर द्वितीय को व 30 हजार रूपये दोनों आरोपीगणों द्वारा अपने स्वंय के लिये लेने हेतु सहमत होने का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) बीएनएस में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण 1. श्री प्रदीप

कुमार मीना पुत्र श्री रमेश चन्द मीना, जाति मीना उम्र 33 साल निवासी ग्राम पोस्ट धनवाडा, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर तत्कालीन कार्मिक, कार्यालय एडीएम अलवर द्वितीय न्यायालय हाल वरिष्ठ सहायक, कोर्ट प्रकोष्ठ, कलेक्ट्रे्ट अलवर 2. श्री विनोद मीना पुत्र श्री जगदीश मीना जाति मीना उम्र 27 साल निवासी ग्राम अचलपुरी, पोस्ट पुनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर तत्कालीन रीडर, कार्यालय एडीएम अलवर द्वितीय न्यायालय हाल निजि सहायक ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61 (2) बीएनएस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। (रमेश चंद) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,दौसा.............कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेश चंद, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री प्रदीप कुमार मीना पुत्र श्री रमेश चन्द मीना, जाति मीना उम्र 33 साल निवासी ग्राम पोस्ट धनवाडा, तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर तत्कालीन कार्मिक, कार्यालय एडीएम अलवर द्वितीय न्यायालय हाल वरिष्ठ सहायक, कोर्ट प्रकोष्ठ, कलेक्ट्रे्ट अलवर एवं 2. श्री विनोद मीना पुत्र श्री जगदीश मीना जाति मीना उम्र 27 साल निवासी ग्राम अचलपुरी पोस्ट पुनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर तत्कालीन रीडर, कार्यालय एडीएम अलवर द्वितीय न्यायालय हाल निजि सहायक ग्रेड-द्वितीय कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 276 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1350-53 दिनांक 17.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला कलक्टर, अलवर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURJEET SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/08/2026 15:03:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)